हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

तारीख हुक्म	
25.8.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। वि.सं. 1, 3, 4, 6 ता 10, 14 ता 16 व 21 ता 23 के वकील उपस्थित। पत्रावली लगभग 6 वर्षों से बहस हेतु विचाराधीन है स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुये बहस हेतु एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 6.9.22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
06/9/22	दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई,बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया कि वादीगण की ओर से मूलवाद में ग्राम कल्याणपुर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 79, 80, 83, 163, 166, 172, 188, 190, 203, 204, 211, 643/82, 745/159, 747/159, 753/164, 755/164, 189 भूमि वादीगण के मुतवफी दादा धोकलसिंह के वारिसान को 1/3 हक–हिस्से कि भूमि उनके कब्जानुसार भूमि का खातेदार घोषित करवाने व स्थायी निषेधाज्ञा जा[illegible] करवाने की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है,जो मूलवाद [illegible] के आधार पर तय होगा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने के हकदार है अथवा नहीं। मूलवाद वादीगण की साक्ष्य में विचाराधीन चल रहा है और पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है,जिससे साबित हो की विवादित भूमि पर स्थगन आदेश

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verif
Digitally signed by Nare
Date: 2022.10.05 19:03
Reason: SelfAttested

18/2013

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किया जाना आवश्यक हो। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। जहां तक अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न है,यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध जाता है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Naresh Soni Date: 2022.10.05 19:03:25 IST Reason: SelfAttested सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	